प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25–1/2013–14/749-75 दिनांक: 20.05.13

विषय: मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) एवं आयुष फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपदों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु इस कार्यालय में पत्र प्राप्त हो रहे है।

2. अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2012 में वर्ष 2012–13 के लिये मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष पुरूष चिकित्सक, आयुष महिला चिकित्सक एवं आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायलय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निर्णय एवं भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के स्वीकृति के प्रस्ताव पर समिति के सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा **यह भी निर्णय लिया गया कि इसके उपरान्त इसमें कोई परिवर्तन अथवा समायोजन नहीं किया जायेगा।** यदि किसी जनपद में संविदा आयुष पुरूष चिकित्सक, आयुष महिला चिकित्सक एवं आयुष फार्मासिस्टों का पद रिक्त रहता है तो इसे जिला स्वास्थ्य सोसायटी के स्तर से विज्ञापन के उपरान्त चयन हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

3. राज्य कार्यकारी समिति के उपर्युक्त निर्णय के कम में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) एवं आयुष फार्मासिस्टों का स्थानान्तरण/समायोजन इस कार्यालय द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जनपद में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्ट को राज्य कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय से अवगत करा दें तथा मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण/समायोजन से सम्बन्धित पत्र न इस कार्यालय को प्रेषित करे न ही अग्रसारित करें।

भवदीय,

18/5/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25–1/2013–14/ तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25–1 / 2013–14 / 749-75 दिनांक: 20.05.13

विषय: मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष / महिला) एवं आयुष फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपदों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष / महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण / समायोजन हेतु इस कार्यालय में पत्र प्राप्त हो रहे है।

2. अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2012 में वर्ष 2012–13 के लिये मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष पुरूष चिकित्सक, आयुष महिला चिकित्सक एवं आयुष फार्मासिस्टों के समायोजन एवं पुनर्अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायलय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निर्णय एवं भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के स्वीकृति के प्रस्ताव पर समिति के सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा **यह भी निर्णय लिया गया कि इसके उपरान्त इसमें कोई परिवर्तन अथवा समायोजन नहीं किया जायेगा।** यदि किसी जनपद में संविदा आयुष पुरूष चिकित्सक, आयुष महिला चिकित्सक एवं आयुष फार्मासिस्टों का पद रिक्त रहता है तो इसे जिला स्वास्थ्य सोसायटी के स्तर से विज्ञापन के उपरान्त चयन हेतु निर्देशित कर दिया जाये।

3. राज्य कार्यकारी समिति के उपर्युक्त निर्णय के कम में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष / महिला) एवं आयुष फार्मासिस्टों का स्थानान्तरण / समायोजन इस कार्यालय द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जनपद में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष / महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्ट को राज्य कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय से अवगत करा दें तथा मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष / महिला) एवं संविदा आयुष फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण / समायोजन से सम्बन्धित पत्र न इस कार्यालय को प्रेषित करे न ही अग्रसारित करें।

भवदीय,

18/5/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25–1 / 2013–14 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि व्यक्तिगत् रूप से भी मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

18/5/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक